न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:— 298 / 2021

ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. कुलविन्द्रसिंह पुत्र कलवन्तसिंह
2. गुरप्रीतसिंह पुत्र लाभसिंह
3. मेजरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
4. रेशमसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
5. रोशनसिंह पुत्र लाभसिंह
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र कलवन्तसिंह
7. विनोदकुमार पुत्र मनफूल

(क्रम 1 से 7:) जाति जटसिख साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा। जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

8. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कँचिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़ राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थी
2. श्री धनराज सुथार	अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 10

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 16/08/24

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत करने हेतु श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है प्रार्थी व अप्रार्थी का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है। तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 6/5 प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 11/2/0.0250, 20 ता 22/0.7590, 23/1/0.1900 की 0.9740 है. नहरी व पन 29/247 मु.न. 1 कि.न. 5/1/0.1390, 6/0.2530, 15/0.2530 की 0.6450 है. नहरी कुल 1.6190 है. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत [illegible] 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 5/4 प.न. [illegible] कि.न. 1, 2, 9, 10, 11/1/02280, 12, 19 की कुल 1.[illegible] है [illegible] कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:42:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 8/8 प.न. 28 / 247 मु.न. 2 कि.न. 3. 8, 13, 14/1/0.1640, 17, 18, 23/2/0.0630, 24 की 1.7450 है. व प.न.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

30/249 मु.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.0250 की 0.2530 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी 1 ता 6 के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। वाके तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 20रू21) से स्थाई का खाता सं. 78/50 प.न. 28 / 247 मु.न. 2 कि.न. 25/1/ 0.2280 25/2/0.0250 रास्ता, श की 0.2530 है. मय गै. मु. रास्ता व प.न. 28/248 मु.न. 6 कि.न. 6/1/0.2280, 6/2/0.0250रास्ता, 7, 8, 9 की 1. 0120 है. मय रे, मु. रास्ता की 1.2650 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि अप्रार्थी 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

प्रार्थी के नाम उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 6/5 प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 11/2/0.0250, 20 ता 22/0.7590, 23/1/0.1900 की 0.9740 है. नहरी व तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् ' 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 5/4 प.न. 28 / 247 मु.न. 2 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11/1/0.2280, 12, 19 की कुल 1.7460 है. नहरी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थी न. 1 ता 6 की उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ की का ए.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 23/2/0.0048, 24/0.0190 है. व अप्रार्थी न. 7 की उक्त कृषि भूमि चिक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 25/0.0190 है. कुल 0.0428 है. चालू रास्ता में से बतौर रास्ता के आना जाना कर रहा है। जो उक्त चक 31 एम ओ डी का प.न. 28 /247 मु.न. 2 का कि. न. 23, 24, 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 1: बिस्वा चौड़ा व पूर्व–पश्चिम 26 बीघा लम्बा रास्ता है। जिसमें से प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में आना जाना बतौर रास्ता मय ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाडी व पैदल चलकर व कृषि औजार सहीत कर रहा है जो प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को लगता हुआ रास्ता चालू है जिसे रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है जो किया जावे। जिसके बदले में प्रार्थी ने अप्रार्थी न. 1 ता 6 को 0. 0428 है. व अप्रार्थी न. 1 ता 6 ने इसमें से 0.0190 है. अप्रार्थी न. 7 को देकर रकबा चुकता किया गया है। उक्त चाहा गया रास्ता 40 वर्षो से प्रार्थी की कृषि भूमि को लगता हुआ रास्ता चालू है। एंव उक्त चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि को नहीं लगता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थी न. 10 भू–धारक होने से व अप्रार्थी न. 8 व 9 का नाम उक्त वर्णित कृषि का खाता में नाम अंकित होने से दावा में पक्षकार बनाया है ताकि ताकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे। प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाये:–

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी [illegible] 28 / 247 मु.न. 2 कि.न. 23/2/0.0048, 24/0.0190, 25/0.0190 है [illegible] का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी का [illegible] 28 / 247 मुन. 2 का कि.न. 23, 24, 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 1: बिस्वा चौड़ा व पूर्व–पश्चिम 24 बीघा लम्बा रास्ता है। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयम् हाजिर राजीनामा तहरीर शुदा प्रस्तुत किया गया राजीनामा तथ्य निम्न प्रकार से है।–

प्रार्थी न 1 व अप्रार्थी न. 1 ता 7 का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाबत लोक अदालत की भावना से आपस में निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है। ता कि विवाद आगे ना बढे व स्थाई शान्ति बनी रहे। पक्षकारान आज श्री मान जी के न्यायालय / लोक अदालत में अपने पहचान के आधार कार्ड आदि सबूतों के साथ अपना राजीनामा तस्दीक करवाने हेतू हाजिर हैं। राजीनामा स्वीकार किया जावे। व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्न प्रकार से चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो कि मौका पर रास्ता आने जाने हेतू चालू है। रू– (क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी का प.न. 28 / 247 मु.न. 2 कि.न. 23/2/0.0048, 24/0.0190, 25/0.0190 है. कुल 0.0428 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि तहसील पीलीबंगा का चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 का कि.न. 23, 24, 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 11/2 बिस्वा चौड़ा व पूर्व–पश्चिम 2: बीघा लम्बा रास्ता है।

(ग) कि रास्ता स्वीकृत किये जाने के एवज में प्रार्थी न. 1 औमप्रकाश ने अपनी कृषि भूमि चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 23/1/0.1900 है. में से कि.न. 23/1/0.0190 है. कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 ता 6 को ब. हिस्सा बराबर बराबर में दे दी है।

(घ) कि उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने के एवज में अप्रार्थी न. 1 ता 8 ने अपनी अपनी ब. हिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 14/1/0.164 है. में से 14/1/00190 है. कृषि भूमि अप्रार्थी न. 7 विनोदकुमार को दे दी है।

उक्त अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाकर उक्त अनुसार रास्ता एंव रास्ता के एवज में पक्षकारान को दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है।

अतः प्रार्थी न. 1 व अप्रार्थी न. 1 ता 7 का उक्त अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष एंव मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जावे एंव रास्ता के एवज में राजीनामा में पक्षकारान को दी गई कृषि भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 243 दिनांक 16.05.22 को प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में समस्त काश्तकारन को पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त भूमि को अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो चाहे गये रास्ते से कम दूरी का हो का विवरण। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 23/2/0.0048, 24/0.0190, 25/0.0190 है. कुल 0.0428 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विधि विभाग अधिसूचना 5 सितम्बर 2023 द्वारा 1955 राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251—क के तहत उक्त रास्ता के प्रतिकर के रूप में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि प्रार्थी न. 1 औमप्रकाश ने अपनी कृषि भूमि चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि. न. 23/1/0.1900 है. में से कि.न. 23/1/0.0190 है. कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 ता 6 को ब. हिस्सा बराबर बराबर में दी गई है। एवं अप्रार्थी न. 1 ता 8 ने अपनी अपनी ब. हिस्सा बराबर बराबर कृषि भूमि चक 31 एम ओ डी का प.न. 28/247 मु.न. 2 कि.न. 14/1/0.164 है. में से 14/1/00190 है. कृषि भूमि अप्रार्थी न. 7 विनोदकुमार को दी गई है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 16/08/24 सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested